राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3]   तेरहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का नवां दिवस   [संख्या : 7

बुधवार;

15 जुलाई, 2009

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

अनेक माननीय सदस्य: राम, राम, साहब।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर कोई ..(व्यवधान)

सदन में नारेबाजी

(भाजपा के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक फैसला नहीं होगा, सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। (व्यवधान) कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आपका प्रयास, आप सदन को चलाना चाहते हैं, हम भी सदन को चलाना चाहते हैं। यह सदन राजस्थान की सर्वोच्च संस्था है अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, आसन पांवों पर है। विराजें। (व्यवधान) कृपया विराजें। आसन पांवों पर है, कृपया विराजें। आसन पांवों पर है, कृपया विराजें। कृपया विराजें। आसन पांवों पर है, माननीय सदस्य, कृपया विराजें। (व्यवधान) कृपया आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सत्तारूढ़ दल यह नहीं चाहता कि सदन चले। (व्यवधान) नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। (व्यवधान) आसन पांवों पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हां, हम बिलकुल बैठ जायेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। मैंने प्रश्नकाल भी शुरू नहीं किया है। मैं आपको कुछ निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) मैंने प्रश्नकाल भी शुरू नहीं किया है, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आसन पांवों पर है, कृपया विराजें। (व्यवधान) कृपया विराजें। कृपया विराजें। (व्यवधान) कृपया विराजें। (व्यवधान) मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं कृपया विराजें। कृपया विराजें। (व्यवधान) करो, कोई मतलब ही नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में प्रवेश एवं नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य: जिस ढंग से बोला है, जिस ढंग से एक्टिंग किया है, क्या यह शोभनीय काम था? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पूरा राजस्थान देख रहा है, आप सदन नहीं चलाना चाहते। सबके सामने आपकी पोल खुल रही है। (व्यवधान) आप चाहते हो तो डिस्कस करा लें, किसकी गलती है सामने आ जायेगी। (व्यवधान) लोगों के सामने चर्चा होनी चाहिये, पता चलना चाहिये, किसने गलत कहा, किसने सही कहा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: प्रतिपक्ष की नेता जिस तरह से एक महिला जो सदन की सदस्य नहीं है, जिस तरह की ...(व्यवधान) इस राजस्थान विधान सभा के लिये और शर्मनाक ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

श्रीमती नसीम अख्तर (पुष्कर):×××

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास(सिविल लाइन्स):×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन):×××

श्री करण सिंह (छबड़ा):×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.04 बजे एक घंटे के लिये स्थगित हुई)

(समय 12.04 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन में नारेबाजी

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष यह चाहता है कि सदन चले। जिस तरह की टीका टिप्पणी सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने की है.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप लोग सहयोग करें तब सदन चल पायेगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। कृपया आप लोग सहयोग कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी):×××

(सदन के वैल में)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के द्वारा सदन के वैल में प्रवेश)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):×××

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा नारेबाजी)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री बाबूलाल खराडी एवं तीन सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाडोल में कम वर्षा होने से कृषकों द्वारा बोये गये बीज का अंकुरन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर में कानून व व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

3. श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से राज्य में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित

(श्री अध्यक्ष)

कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी आज इस विषय पर माननीय सदस्य पर्ची के माध्यम से अपने विचार रखेंगे।

4. श्री ज्ञानचन्द पारख एवं 21 अन्य सदस्यों की ओर से पंचायत समिति पाली में विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन के कई आवेदन पत्र ग्राम सेवकों एवं पटवारियों द्वारा गुम कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री ओटाराम देवासी एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिरोही में विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन के कई पात्र व्यक्तियों के पेंशन प्राप्त करने में वंचित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(सदन में भारी नारेबाजी)

सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.07 बजे एक घंटे के लिये स्थगित हुई)

(समय 13:07 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

(सदन में नारेबाजी)

(भाजपा एवं सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पीड़ा है कि दो दिन से सदन का समय खराब हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन चलाना नहीं चाहते। पूरा राजस्थान देख रहा है इनको, न चर्चा करना चाहते हैं न फैसला करना चाहते हैं यह लोग। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात ...(व्यवधान) जिस तरह का वातावरण सदन के अन्दर है, अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह लोग तो बार बार ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):×××

(भारतीय जनता पार्टी के मा. सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश व नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) कृपया व्यवधान नहीं, सदन की कार्यवाही चलने दें। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर):×××

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):×××

(भारतीय जनता पार्टी के मा. सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(कांग्रेस पार्टी के मा. सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर):×××

डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर):×××

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.10 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय: 14.10 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

(सदन में नारेबाजी)

(भाजपा के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, 108 नये लोग जीतकर आये हैं, सदन को चलाना चाहते हैं (व्यवधान) दोनों तरफ के 108 लोग हैं उनकी तरफ दया कीजिये, फैसला करवाइये..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का सदन के अन्दर..(व्यवधान) निश्चित रूप से...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, यह सदन को चलाना नहीं चाहते हैं..(व्यवधान) माफी मांगने..(व्यवधान) सदन को चलाना नहीं चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि सदन चलें..(व्यवधान) वह भी राजस्थान की..(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं सदन चले..(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश व नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें...(व्यवधान) मैं आपसे अपील करता हूं कृपया आप बिराजिये..(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): 108 नये एम एल ए आए हैं..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माफी चाहते हो..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कृपया आप विराजिये। कृपया आप मेहरबानी करके सदन को चलने दें। (व्यवधान)

(सत्तापक्ष व भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): बार-बार यह लोग वैल में आते हैं, पहले भी ...(व्यवधान) दोनों को बुलाकर बात ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें। सदन को चलने दें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पूरे राजस्थान की जनता तमाशा देख रही है और यह लोग सदन को चलाना नहीं चाहते ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप मेहरबानी करके सदन को चलने दें, राजस्थान की जनता यह उम्मीद कर रही है कि सदन में उनकी समस्याओं को ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माहौल को बिगाड़ा है ...(व्यवधान)

(सत्तापक्ष व भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष की महिला ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): वोट नहीं दिये हैं। राजस्थान की जनता ने समस्याओं को उठाने के लिए वोट दिये हैं और आप यदि सदन चलाना चाहते हो तो बैठकर बात कर लो। आप न बात करना चाहते हो न चर्चा करना चाहते हो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राज्य में बिजली की स्थिति पर चर्चा होगी, तत्समय माननीय सदस्यों को बोलने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है, अत: स्थगन प्रस्ताव के रूप में अनुमति देने में असमर्थ हूं। (व्यवधान)

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी प्रमुख प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री अमराराम, श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री प्रभुलाल सैनी एवं श्री हनुमान बेनीवाल को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी ...(व्यवधान)

श्री अमराराम...(व्यवधान) श्री अमराराम...(व्यवधान) श्री अमराराम, स्थगन पर बोलने के लिए श्री अमराराम ...(व्यवधान) श्री ज्ञानदेव आहूजा ...(व्यवधान) श्री ज्ञानदेव आहूजा ...(व्यवधान) श्री प्रभुलाल सैनी, श्री हनुमान बेनीवाल। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं, विपक्ष की माननीय नेता को भी वाद-विवाद में भाग लेना है बजट पर ...(व्यवधान)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

माननीय सदस्यों द्वारा 295 के जो प्रस्ताव हैं उनको पढ़ा हुआ मान लिया गया। (व्यवधान)

(नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से प्राप्त उत्तर आज होगा। सामान्य वाद-विवाद पर माननीय विरोधी दल की नेता को बोलना है। मैं निवेदन करूंगा विरोधी दल की माननीय नेता श्रीमती वसुन्धराजेंजी से कि वह अपना वक्तव्य शुरु करें ...(व्यवधान) विरोधी दल की नेता सम्माननीय वसुन्धराजी से मैं निवेदन करूंगा कि सामान्य वाद-विवाद में भाग लेने के लिए वह अपना भाषण प्रस्तुत करें ...(व्यवधान) विरोधी दल की सम्माननीय नेता

(श्री अध्यक्ष)

को मैं निवेदन करूंगा कि वाद-विवाद प्रारम्भ करें ...(व्यवधान) विरोधी पक्ष की नेता को वाद-विवाद में भाग लेना है, उनको सुनने के लिए कृपया आप लोग विराजें ...(व्यवधान) कृपया आप लोग विराजें। राजस्थान की जनता देख रही है, देश का मीडिया देख रहा है, किस प्रकार का व्यवहार और किस प्रकार की स्थिति सदन की है। मुझे बड़ी तकलीफ है यह कहते हुए, वेदना है यह कहते हुए, कृपया अब सदन चलने दें ...(व्यवधान) मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, दोनों पक्षों के चार-चार माननीय सदस्य चैम्बर में पधार जाएं इस समस्या के समाधान के लिए। बैठकर के इस समस्या का समाधान हो सकेगा, चर्चा से ही समस्या का समाधान हो सकेगा ...(व्यवधान) कृपया आप लोग विराजें। किसी भी समस्या का समाधान आपस में बैठकर किया जाना संभव है। हो हल्ले में किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कृपया आप विराजें। आसन पांवों पर हैं, कृपया आप विराजें ...(व्यवधान) आप कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें। आज के समाचार पत्र और मीडिया को आपने देखा होगा। सदन की कार्यवाही कृपया चलने दें ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा, कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें। राजस्थान की जनता उम्मीद करके हम सबको यहां भेजती है, कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें, ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है, कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें, दो दिन से बार-बार प्रयास के बावजूद मेरी प्रार्थना पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, राजस्थान की जनता देख रही है, प्रेस की, जनता ने आपको उम्मीद करके यहां भेजा है कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आप सदन का उपयोग करें न कि केवल हो हल्ले से सदन का समय बर्बाद करें। राजस्थान की जनता के पसीने की कमाई के टैक्स से यह सदन चलता है, लाखों रुपया खर्च होता है। कृपया उस बर्बादी को आप रोकें, जनता की भावना को समझें। कृपया आप विवेक से काम करे ...(व्यवधान) राजस्थान की जनता उम्मीद करके बैठी है कि आप उनकी बात को यहां सदन में रखेंगे, मैं आपसे फिर अपील करना चाहता हूं कृपया आप विराजें जायं, आसन पांवों पर है, कृपया आप विराज जाएं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। कृपया सहयोग करें ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):×××

श्री अध्यक्ष: विरोधी दल के माननीय सदस्य, चार-चार माननीय सदस्य मेरे चैम्बर में पधार जायें ताकि किसी प्रकार समस्या का हल निकल सके तो बड़ी मेहरबानी होगी ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

(सदन में नारेबाजी)

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा नारेबाजी जारी)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी):×××

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी):×××

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर):×××

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा नारेबाजी जारी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, विरोधी पक्ष की नेता को वाद-विवाद में हिस्सा लेना है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे शुरू करें, मुझे बड़ी तकलीफ है यह कहते हुए कि हम लोग क्या इसके लिए सदन में चुनकर आते हैं? क्या राजस्थान की जनता हमको इसके लिए चुनकर भेजती है? माननीय विरोधी पक्ष की नेता को मैं निवेदन करूंगा कि वह वाद-विवाद में अपना भाषण शुरू करें। माननीय विरोधी पक्ष की नेता से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह वाद-विवाद में हिस्सा लेने के लिए अपना भाषण शुरू करें। राजस्थान की जनता देख रही है कि क्या जन प्रतिनिधियों को उसने इसलिए सदन में भेजा है? बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें ...(व्यवधान) दोनों ओर से माननीय सदस्यों के चार-चार प्रतिनिधि मेरे चैम्बर में पधार जायें, बैठकर के चर्चा कर लें, किसी प्रकार से सदन को चलने में सहयोग करें ...(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा अपने आसनों से व प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही सवा घंटे के लिए स्थगित की जाती है। (व्यवधान) सदन की कार्यवाही सवा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.30 बजे सवा घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय:15.45 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

(भाजपा के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। कृपया विराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं सदन सुचारु रूप से चले। हम अपने राजस्थान की जनता को सदन के माध्यम से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या भाजपा के उप नेता घनश्यामजी तिवाड़ी कुछ कहना चाहते हैं? (व्यवधान) नहीं कहना चाहते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यहां रखना चाहते हैं पर जिस तरह का सदन का वातावरण बना है, मैं सदन के नेता को कहना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या भाजपा के उप नेता महोदय घनश्यामजी तिवाड़ी कुछ कहना चाहते हैं? कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सत्ता के मद में चूर होकर जिस तरह की असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। कृपया विराजें। सदन की कार्यवाही चलने दें।

(सदन के वैल में)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

आसन पांवों पर है, कृपया विराजें। सदन की कार्यवाही चलने दें। अंकित नहीं हो रहा है, सदन की कार्यवाही चलने दें। (व्यवधान) कृपया विराजें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। (व्यवधान) परिवर्तित आय-व्यय अनुमान वर्ष 2009-2010 सामान्य वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के लिए माननीय सदस्यों के नाम मुझे प्राप्त नहीं हुये हैं। माननीय विरोधी दल की नेता को मैंने निवेदन किया है कि वे अपनी बात रखें। अब कृपया कार्यवाही को आगे चलने दें। कृपया आगे चलने दें। किसी माननीय सदस्य की ओर से मेरे को नाम प्राप्त नहीं हुए हैं। विरोधी दल के नेता को भी मैंने निवेदन किया है कि वह अपना भाषण प्रारम्भ करें। मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2009-10 के बजट पर पांच दिनों तक सामान्य वाद-विवाद चला जिसमें बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों ने उत्साह के साथ भाग लिया। हमारी सरकार एक स्वस्थ समालोचना की पक्षधर है, तथा मैं इस चर्चा का समापन करते समय सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने सुझाव सदन में रखे तथा अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं से हमें अवगत कराया।

समय सीमा को ध्यान में रखते हुए यह सम्भव नहीं होगा कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रत्येक बिन्दु का आज उल्लेख कर सकूं, किन्तु मैं सदन को यह अवश्य अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रत्येक मुद्दे पर गम्भीरता से विचार करेंगे तथा हमारी भविष्य की कार्य योजना बनाते समय इन बिन्दुओं का ध्यान रखेंगे। आज की चर्चा के पश्चात् आगामी लगभग आठ दिनों तक विभिन्न मांगों पर सदन में चर्चा होगी तथा उस दौरान विभागीय मुद्दों पर विस्तृत विवेचन का माननीय सदस्यों को अवसर प्राप्त होगा।

इस माहौल के अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, चाहूंगा कि मेरा भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट पर सामान्य वाद-विवाद पर उत्तर की प्रति सदन की मेज पर रखी गयी)

(पढ़ी हुई मानी गयी प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):×××

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 16 जुलाई, 2009 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.54 बजे गुरुवार, दिनांक 16 जुलाई, 2009 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव जो पढ़े हुए माने गये

फलौदी में ड्रोमा यूनिट की स्थापना बाबत

महोदय,

निवेदन है कि जोधपुर जिले का फलौदी शहर उप खण्ड मुख्यालय है तथा यहां पर नहर परियोजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, जोधपुर डिस्कॉम आदि के जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित है। भौगोलिक दृष्टि से फलौदी, जौधपुर वाया औसियां, जोधपुर वाया देचू, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर जिला मुख्यालयों का करीब 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित केन्द्र बिन्दु स्थान है।

नेशनल हाइवे 15 व मेगा हाइवे काण्डला मार्ग फलौदी होकर गुजर रहे हैं। फलौदी क्षेत्र में बाबा रामदेव, गुरु जम्भेश्वर, जगदम्बा–लटियाल माता, पाबूजी कोलू, हडबूजी बेंगटी, करणी माता सुआप मंदिर तथा तन्नोट माताजी आदि के प्रसिद्ध देव/तीर्थ स्थानों पर लाखों तीर्थयात्री पधारते/गुजरते हैं। 5 जिला केन्द्र बिन्दु अति महत्वपूर्ण स्थान पर मात्र राजकीय चिकित्सालय फलौदी व बाप में स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत उपलब्ध है जिसमें स्वीकृति अनुसार चिकित्सक एवं स्टाफ समुचित रूप से पदस्थापित नहीं है।

यातायात के भारी दबाव एवं पैदल यात्रियों की लाखों में संख्या होने से बडी संख्या में दुर्घटनायें होती रहती है तथा सैंकड़ों लोग मौत के शिकार हो जाते हैं वं घायल हो रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर स्वास्थ्य की समुचित सेवायें अति आवश्यक हैं। हालांकि संवदेनशील हमारी सरकार ने मांग को ध्यान में रखकर 2 रोगी वाहन तथा 2 वाहन 108 सेवा के उपलब्ध करायें हैं तथा इससे स्थानयी जनता को पूरा लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार की सवास्थ्य नीति के अनुसर श्रेष्ठ चिकित्सा व्यवस्था देने का प्रयास प्रशंसनीय है। परिवर्तित बजट 2009-10 में माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने बिन्दु संख्या 55 में चालू वर्ष में 18 जिलों में ट्रोमा यूनिट्स खोलने की योजना घोषित की है।

उपरोक्त तथ्यों एवं आवश्यक हालात को मध्यनजर रखते हुए मैं विधान सभा की प्रक्रिया नियम 295 के तहत उल्लेख कर निवेदन है कि मानवीय दृष्टिकोण से फलौदी में ट्रोमा यूनिट स्वीकृत कराई जावे जिससे कि

इस नीति अति महत्वपूर्ण क्षेत्र में दुर्घटना एवं अन्य स्थिति में तत्काल उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवायें लोक कल्याणकारी राज्य में जनता को प्राप्त हो सके।

ओमप्रकाश

(फलौदी)

लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र के गांवों में नरभक्षी मगरमच्छों द्वारा आतंक बाबत

महोदय,

मैं, प्रक्रिया एवं नियम 295 के तहत माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय का ध्यान मेरे लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में कोटा शहर के समीपस्थ गांवों धाकड़ खेडी दसलाना, भोजपुरा, चडीन्दा, मैडानिया, हाथीखेडा, चन्डेसल सहित अन्य कई गांवों में नरभक्षी हुए मगरमच्छों के आंतक की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चम्बल नदी की एक सहायक नदी चन्दलोई नदी में वर्तमान में लगभग 1500 मगरमच्छ हैं यह नदी वर्षो से कभी सूखी नहीं और इसमें गहारा पानी 12 महीने बने रहने के कारण भारी तादाद में मगरमच्छों का प्रजनन भी हो रहा है। प्रजनन और मगरमच्छों की संख्या में भी बढोत्तरी हो इससे वन्यजीव प्रेमी लोगों को कोई आपत्ति नहीं हैं लेकिन अब यह मगरमच्छ ग्रामीणवासियों व जानवरों के लिए गम्भीर खतरा बन गए हैं। पिछले 4-5 वर्षो में नरभक्षी हुए इन मगरमच्छों ने नदी के किनारे नहाने धाने जाने वाले 5 लोगों को अपना शिकार बना लिया और उनकी दुखद मौत हो गई। गाय, बैल, बछडे, भेड़ बकरियों को मगरमच्छों द्वारा निगले जाने की तो अनेकों घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। मगरमच्छों के नरभक्षी होने का कारण जो अब तब सामने आया, वो यह है कि कोटा के डीसीएम उद्योग का जहरीला दूषित पानी चन्दलोई नदी में गिरता है और फैक्ट्री से निकलकर उस नदी में गिरने वाले केमीकल से पानी में मगरमच्छों का आहार छोटी मछलियां व अन्य जल के जीव जन्तु मर जाते हैं और इसलिए यह आहार खत्म हो जाने के कारण भूख से व्याकुल मगरमच्छ नदी के किनारों व खेतों तक जाकर अपनी भूख शांत करने के लिए आदमी व जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। अब तो हालत यह हो गई कि अभी मगरमच्छ से भयभीत लोगों ने नदी किनारे जाना ही छोड दिया है। हाल ही में मई माह में एक युवक हाथ मुंह धो रहा था मगरमच्छ ने उसका हाथ पकड़कर पानी में खींच लिया चिल्लाने पर पूरे गांव ने दौड़कर उसे मगरमच्छ मुंह से निकालने की कोशिश की। फिर भी मगरमच्छ ने उसका पूरा हाथ चबा लिया और गम्भीर रूप से घायल कर

दिया। मेरा सरकार से आग्रह है कि मेरे क्षेत्र के लोगों की व पशुधन की जान को खतरा बने मगरमच्छों के नरभक्षी होने के कारण डीसीएम कारखाने के दूषित केमीकल को नदी में जाने से तत्काल रोका जावे। अध्यक्ष महोदय नरभक्षी मगरमच्छों के आतंक से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए मैंने पूर्ववर्ती सरकार में उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन कर सुझाव दिया था कि इन मगरमच्छों को चन्दलोई नदी से निकाल कर समुद्र में डाले जावें लेकिन क्रियन्विति नहीं हो पाई और अब तो उल्टा हो रहा है। राजस्थान में जहां भी घड़ियाल व मगरमच्छ कहीं आबादी में घुस आते हैं उन्हें निकालकर वन विभाग तत्काल चम्बल व उसकी सहायक नदियों में छोड़ देते हैं जिससे चम्बल नदी में नहाने से लोग कतराते हैं। अत: मेरा वन मंत्री से आग्रह है कि चन्दलोई नदी में गिर रहे डीसीएम के दूषित पानी को तत्काल रोकने की कार्यवाही करें। साथ ही चम्बल व उसकी सहायक नदियों में कहीं से भी लाकर मगर व घड़ियाल नहीं छोड़े जावें।

भवानी सिंह राजावत

(लाडपुरा)

भोपालगढ़ (जोधपुर) के राजकीय कालेज में व्याख्याताओं के रिक्त पदों के सम्बन्ध में

महोदय,

मैं. प्रक्रिया एवं नियम 295 के तहत माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम भोपालगढ़ पंचायत स्तर पर राजकीय कालेज में सभी संकाय के व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं। कालेज में सीटें भी काफी कम हैं जिसे तुरन्त बढाया जावे ताकि बालिकाओं को कालेज में प्रवेश मिल सके। अन्य कालेज भोलपागढ़ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को प्रक्रिया एवं नियम 295 के तहत सदन की कार्यवाही रोककर उठाने की अनुमति प्रदान करें।

श्रीमती कमसा मेघवाल

(भोपालगढ़)

भादरा की बालिका कृष्णा जोगी के हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार के नारे 'स्वच्छ प्रशासन और पारदर्शी सरकार' को भादरा

(हनुमानगढ़) पुलिस ने अपने थाने के पास हुए एक 13 वर्षीय बालिका कृष्ण जोगी के हत्या-काण्ड से करूण क्रन्दन में बदल दिया है।

14 मार्च, 2009 को एक 13 वर्षीय बालिका कृष्णा जोगी की हत्या भादरा थाना से मात्र 1 किमी. की दूरी पर हुई है। जब कि पुलिस को बालिका की लाश 24 घंटे बाद एक थैले में मिली। पुलिस व प्रशासन को इस मामले को दबाने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने अभिभावकों की पहचान करने से पहले ही शव का पोस्टमार्टम करवा दिया और पोस्टमार्टम भी ठीक ढंग से नहीं करवाया गया।

प्रशासन तो पुलिस से भी तेज निकला और उन्होंने बच्ची का अन्तिम संस्कार आनन-फानन में करवा दिया।

लापरवाही की हद इससे अधिक क्या हो सकती है कि महिला सशक्तीकरण व बाल विकास का वादा करने वाली सरकार के अफसर आज तक हत्या के स्थल को तय नहीं कर पा रहे हैं। जिसके कारण आज तक 6-7 जांच भी बदली जा चुकी हैं। लेकिन इसका परिणाम शून्य रहा है।

अपराध इतने बढ गए हैं कि अपराधी अब व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार ही समाप्त करने लगे हैं। नोहर तहसील के राजासर ग्राम में एक ही परिवार के चार जनों की गला रेतकर हत्या कर दी गई जिससे आम जनता में भय है लेकिन पुलिस कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य में बढ़ रहे अपराध को रोके, बालिका कृष्णा जोगी के हत्यारों को सजा दिलावे व जांच प्रक्रिया में ढील बरतने वाले अफसरों पर सख्त कार्यवाही करे व राजासर गांव हत्याकाण्ड का पर्दाफाश कर अपराधियों को सजा दिलावें।

पवन कुमार दुग्गल

(अनूपगढ़)

चौमूं में सैटेलाइट हास्पिटल खुलवाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि चौमूं कस्बा जो जयपुर से केवल 30 किमी. की दूरी पर स्थित है यहां की आबादी 60,000 से अधिक है, जयपुर का उप नगर होते हुये भी चौमूं में चिकित्सा सुविधाएं सन्तोषजनक नहीं है।

चौमूं राजकीय हास्पिटल का आउटडोर लगभग 600 रोजाना का है, लगभग 10-12 हजार वार्षिक डिलेवरी होती हैं।

इतना होने के बावजूद भी चौमूं में सैटेलाइट हास्पिटल नहीं है।

मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चौमूं में सैटेलाइट हास्पिटल खोला जावे जिससे सभी बीमारियों का इलाज स्थानीय सैटेलाइट हास्पिटल में हो सके। चौमूं में सैटेलाइट हास्पिटल खोलने से स्थानीय जनता को तो राहत मिलेगी ही साथ ही जयपुर पर दबाव भी कम होगा।

अत: मेरा माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है कि चौमूं में अविलम्ब सैटेलाइट हास्पिटल खुलवाने के निर्देश प्रदान करें।

भगवानसहाय सैनी

(चौमूं)

द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों की दयनीय स्थिति बाबत

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में अवगत करवाकर इन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान करने हेतु निवेदन कर रहा हूं :-

1. द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) में भाग लेने वाले सैनिकों ने भारतवर्ष को अग्रेजों द्वारा आजादी देने के आश्वासन पर ही बढ-चढ कर सेना में भर्ती होकर अपनी सेवाएं दीं तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों को हरा कर भारत की अखण्डता को बरकरार रखा । इसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने भारत को 1947 में आजाद कर दिया । इन गौरव सैनानियों ने देश प्रेम व आजादी की लड़ाई नौकरी के लिए नहीं बल्कि देश भक्ति से ओत प्रोत होकर अपनी सेवाएं दी । इन गौरव सैनानियों में बहुत से सैनानी लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गये तथा बचे हुए सैनानियों को या तो घर भेज दिया गया या फिर स्वतंत्र भारत की सुरक्षा सेनाओं या अन्य सेवाओं मे पुन: नियोजित कर दिया गया ।

2. स्वतंत्रता सैनानियों का रिकार्ड भारतीय जेलों, सामाजिक व राजनीतिक सम्पर्क से जुटाया गया था मगर द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों का उस समय कोई ढांचागत संगठन नहीं था। क्या सरकार के पास द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनानियों व उनके परिवारों का ब्यौरा है ?

3. द्वितीय विश्व युद्ध के सभी जीवित गौरव सैनानी 85 से 95 वर्ष के हो गये हैं तथा उनकी पत्नियां भी 75 से 90 साल की हो चुकी हैं और दोंनों ही अपने जीवन के संध्या काल में हैं। क्या सरकार इन द्वितीय विश्व युद्ध लड़

चुके गौरव सैनानियों को पिछले 64 सालों की उपेक्षा की एवज में कोई एक्स ग्रेसिया देकर स्वतंत्रता सैनानी के बराबर पेंशन देने की सोच रखती हैं ? अगर नहीं तो क्यों?

वर्तमान में द्वितीय विश्व युद्ध के गौरव सैनानियों या आश्रित को मात्र 800/- रु. मासिक मानदेय सहायता राजस्थान सरकार से दिया जा रहा है, जो छठे वेतन आयोग के बाद एक सीनियर कर्मचारी का मात्र 01 दिन के वेतन के बराबर है। क्या सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के गौरव सैनानियों को इस संकट व मंहगाई के समय तथा जीवन के अंतिम पड़ाव में उनका गौरव बढाकर सुकून व गर्व का जीवन जीने के लिए प्रोत्सोहित करेगी?

छोटूसिंह भाटी

(जैसलमेर)

चिकित्सा शिक्षा विभाग में व्याख्याता (सहायक आचार्य) की नियुक्तियों में नि:शक्तजनों (विकलांगों) के 3% आरक्षित पदों को भरने के सम्बन्ध में

महोदय,

भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार ने शारीरिक दृष्टि से विकलांगों (निशक्तजनों) के लिए ''निशकतजन अधिनियम 1995'' की धारा 33 के अन्तर्गत दिनांक 7.2.1996 से ''तीन प्रतिशत से कम नहीं'' होरीजेण्टल आरक्षण का कोटा निर्धारित किया हुआ है। खुशी की बात है कि चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग ने दिनांक 7.2.1996 से आज तक चिकित्सकों की भर्तियों में 3 प्रतिशत नियुक्तियां देकर वर्तमान में 52 पदों का बेकलाग स्थापित कर पहल की है। मेरी जानकारी में आया है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग में नि:शकतजन अधिनियम दिनांक 7.2.96 से प्रभावी होने के पश्चात्, व्याख्याता (सहायक आचार्य) के लगभग 450 पद भर लिये गये हैं परन्तु निशक्तजनों के 3% कोटा को भरने की नितान्त उपेक्षा की गई है। जब कि अधिनियम के अनुसार उक्त पदों को भरते समय कम से कम 12 निशक्तजनों की नियुक्तियां व्याख्याता (सहा. आचार्य) के पद होनी चाहिए थी ।

मैं, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि वे सम्बन्धित विभाग को निर्देशित करने का कष्ट करें कि आगे की भर्तियों में इन निशक्तजनों के 3% कोटा के 12 पदों को विशेष भर्ती द्वारा भरने की

तत्काल कार्यवाही की जावे ताकि योग्यताधारी निशक्तजन उम्मीदवारों को उनका वाजिब अधिकार मिल सके ।

रविन्द्र सिंह बौहरा

(राजाखेड़ा)

रोजगार सहायकों के वेतन में वृद्धि बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि वर्ष 2008 में ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की गयी थी जिनको 2500/-रु. मात्र मानदेय दिया जा रहा है जब कि राजय सरकार द्वारा न्यून्तम वेतन 4,750/- से मात्र है। एक ग्राम रोजगार सहायक को ग्राम पंचायत में 8-10 किमी के अन्दर समस्त नरेगा कार्यो की मोनेटरिंग के लिए आना-जाना पड़ता है व पंचायत समिति पर विभिन्न सूचनायें देने व लेने के लिए एक सप्ताह में दो-तीन बार जाना पडता है1 मेटो व पं.स. स्तर के अधिकारियों को सूचना देने के लिए सैलफोन का प्रयोग करना पडता है जिससे इनका लगभग रोजाना 30-40 रु. खर्चा हो जाता है। इन्हें मुश्किल से 1500/ रु. माह के मिल पाते हैं जब कि इन्हें कार्य इतना करना पड़ता है कि इन्हें शारीरिक एवं मानसिक दोनों परेशानियों से जूझना पड़ता है । क्या अध्यक्ष महोदय जी पंचायती राज मंत्री जी से ये जवाब पूछेंगे कि इन रोजगार सहयकों को वेतन वृद्धि का लाभ देंगे या नहीं? क्या सरकार इन्हें स्थायी करने पर विचार कर रही है या नहीं? इस बारे में मुख्य मंत्रीजी से स्पष्ट जानकारी सदन को दिलवायें जिससे इनका अपना भविष्य अंधकारमय होने से बच सके । क्योकि अधिक्तर रोजगार सहायकों की न्यूनतम योग्यता बी.ए., बीड., एम.ए., पी.एच.डी, आदि से कम नहीं है। इन्हें सरपंच सचिव के समस्त कार्य करने पडते हैं जिससे इन्हें इनके परिवार कि समाने जीवन यापन करने का संकट पैदा हो गया है। राजस्थान के लगभग 9500 रोजगार सहायक व इनका परिवार आर्थिक तंगी से जीवन यापन कर रहा है।

मैं श्रीमान जी का इस बाबत ध्यान आकृषित करने हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि इन रोजगार सहायकों के बारे में ठोस निर्णय लेकर इनकी परेशानियां दूर करने का श्रम करें ।

मुरारी लाल मीणा

(दौसा)

मकराना मार्बल पर रायल्टी कम करने हेतु

विषय: मकराना मार्बल स्लेब पर 50 प्रतिशत वेस्टेज को 30 प्रतिशत मानते हुए वसूली जा रही रॉयल्टी राशि 325 रु. प्रतिटन को आनुपातिक रूप से घटाकर 227.50 रु. प्रतिटन करवाने, छोटी साइज की मार्बल टाइल्स (1'x11 ' से 2'x12) तक की रायॅल्टी 130 रु. प्रतिटन करवाने तथा 11'x11' व इससे छोटे साइज की टाइल्स, पाउडर, चिप्स, बार्डर, वेरायटी को रॉयल्टी मुक्त करवाने तथा मकराना मार्बल खानों के किराये को रायॅल्टी में समायोजित करवाने के क्रम में ।

महोदय

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है कि सम्पूर्ण राज्य के खनन क्षेत्र से निकाले जा रहे सभी साइज के मार्बल ब्लॉक्स पर रॉयल्टी 175 रु. प्रतिटन निर्धारित की हुई है जबकि मकराना की मार्बल खानों से निकाले जा रहे मार्बल ब्लाक्स की कटाई कर स्लेब बनाकर बेचने पर 50 प्रतिशत वेस्टेज मानते हुए 325 रु. प्रतिटन रॉयल्टी वसूली जा रही है । दूसरी ओर राज्य की अन्य मार्बल खानों से मकराना में जो मार्बल ब्लॉक्स रांयल्टी–पेड़ लाये जा रहे हैं, उन ब्लॉक्स को मकराना में ही चीरने, काटने के बाद बनाये स्लेबस पर मात्र 30 प्रतिशत वेस्टेज मानकर शेष 70 प्रतिशत स्लेब्स को बहिर्गमन पर रॉयलटी मुक्त रखा गया है। इस बाबत राजस्थान सरकार खान विभाग द्वारा आदेश संख्या प. 7 (17)खान/ग्रुप-2/2001 पार्ट दिनांक 24 मार्च 2008 को जारी किये जा चुके हैं। चूंकि मकराना के बाहर से लाये जा रहे मार्बल ब्लॉक्स व मकराना की खानों से निकाले गये मार्बल ब्लाक्स की स्लेब्स बनाने की प्रक्रिया यक समान है तथा दोनों ही प्रकार के मार्बल ब्लॉक्स की प्रोसेसिंग एक ही प्रकार की मशीनों, प्लान्ट्स के द्वारा की जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में बाहर से लाये जा रहे मार्बल व मकराना के मार्बल ब्लाक्स दोंनों की प्रोसेसिंग में 30 प्रतिशत ही वेस्टेज निर्धारित किया जाना न्यायसंगत होगा । वर्तमान में मकराना के मार्बल ब्लाक्स (चिराई-कटाई) प्रोसेसिंग में 50 प्रतिशत वेस्टेज मानकर 325 रु. प्रतिटन रॉयल्टी वसूली जाती है जो कतई न्यायसंगत नहीं है। अत: इस वेस्टेज को भी 30 प्रतिशत निर्धारित किया जावे तथा 325 रु. प्रतिटन रॉयल्टी जो 50 प्रतिशत वेस्टेज के आधार निकाली गई है को भी आनुपातिक रूप से घटाकर 325 रु.-97.50 रु. 227.50 ही प्रतिटन रॉयल्टी निर्धारित की जावे । चूंकि समूचे राज्य में 2 फीट से छोटी साइज की मार्बल ब्लॉक्स (लफ्फर) पर

100 रु. प्रतिटन रॉयल्टी ली जाती है । जबकि मकराना में रॉयल्टी तैयार माल पर ली जाती है। अत: उसी अनुपात में 30 प्रतिशत वेस्टेज मानते हुए 100 रु. पर 30 रु. अर्थात 130 रु. प्रतिटन रायॅल्अी 1'x1 से '2'x2' के स्लेबस पर लिया जाना न्यायोचित होगा । वर्तमान में 1'x12' से 2'x2' तक के मार्बल स्लेब्स पर मकराना में 325 रु. प्रतिटन रॉयल्टी वसूली जा रही है जो न्यायसंगत नहीं है। ऐसा किया जाना मकराना मार्बल उद्योग व्यापार के साथ सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार प्रतीत होता है । मकराना में 11'12 की मार्बल टाईल्स, वेरायटी पर रॉयल्टी 275 रु. प्रतिटन तथा चिप्स, पाउडर व खण्डा आदि पर 60 रु. प्रतिटन रॉयल्टी वसूली जा रही है जो कि बहुत अधिक है तथा न्यायोचित भी नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि मकराना के बाहर खानों से रॉयल्टी पेड़ मार्बल ब्लाक्स यहां बड़ी मात्रा में लिये जा रहे हैं जिन्हें स्लेब्स में तब्दील करने के उपरान्त 70 प्रतिशत तक ही रॉयल्टी मुक्त मार्बल स्लेब्स यहां से बाहर विक्रय किया जा रहा है। शेष 30 प्रतिशत वेस्टेज जो पहले से रॉयल्टी पेड है एवं उसी में से 11'x12'' वेरायटी तथा चिप्स, खण्डा, पाउडर आदि बनाया जा रहा है, उस पर भी यहां से बहिर्गमन के दौरान रॉयल्टी वसूल करना अनुचित है। वर्तमान में मकराना क्षेत्र में इस प्रकति के माल का अम्बार लगा हुआ है अधिक रॉयल्टी के चलते इस माल के ग्राहक नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में यहां के मार्बल उद्योग व्यापार के लिए यह एक बडी समस्या बन चुकी हैं। जिसका एकमात्र उपाय यह है कि इसे पूर्णतया रॉयल्टी मुफ्त किया जावे। मकराना मार्बल खानों पर प्रति 3 वर्ष में मनमाने तरीके से किराया बढ़ा दिया जाता है तथा इन खानों से वसूल किया जा रहा किराया राशि को तैयार माल की रॉयल्टी में समायोजित नहीं किया जाकर मकराना मार्बल उद्योग व्यापार के साथ अन्यायपूर्ण दोहरा व्यवहार किया जा रहा है जबकि राज्य की अन्य मार्बल खानों से वसूल किया जा रहा किराया रॉयल्टी में समायोजित कर दिया जाता है। अत: मकराना में भी खानों के किराये को रॉयल्टी में समायोजित किया जावे।

जाकिर हुसैन गैसावत

(मकराना)

बूंदी-कोटा-बारां जिलों के लिए जीवनदायिनी चंबल नहरी क्षेत्र के पूर्णत: जीर्णोद्धार, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने एवं पूर्ववत पटवारी लगाकर राजस्व व्यवस्था लागू करवाने के क्रम में

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत लोक महत्व के उक्त विषय पर विशेष उल्लेख प्रस्ताव की

सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है कि चंबल नहरों के टेल क्षेत्र में पानी की समस्या हर वर्ष उत्पन्न होती है जिसके लिए क्षेत्र के काश्तकार एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जाता है, इससे जन समुदाय में सरकार के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। इस समस्या के समाधान हेतु बारम्बार अधिकारियों से विभिन्न स्तरों पर वार्ता भी की जाती रही है। मुख्यत: नहरों की जीर्ण-शीर्ण हालत एवं सिंचाई सघनता के अनुरुप नहरों की डिजाइन केवल 55 प्रतिशत को अवगत कराया जाता है। हाल ही में ज्ञात हुआ है कि नहरों के पूर्णतया जीर्णोद्धार के लिए चंबल की बांयी एवं दांयी नहर के लिए राशि रुपये क्रमश: (1) 281 करोड रुपये (2) 293 करोड़ रुपये जिसका कुल योग 574 करोड रुपये है, के प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को 2007-08 में प्रस्तुत की गई थी एवं उक्त प्रारंभिक रिपोर्ट के क्रियान्वयन एवं आंकलन हेतु विस्तत कार्य योजना के लिए कंसलटेंसी की सेवायें लिया जाना भी प्रस्तावित किया गया है जिसकी अनुमानित लागत राशि रुपये 120 लाख रुपये है। राज्य सरकार हाड़ौती की जीवनदायिनी इस नहर प्रणाली के पूर्णतया जीर्णोद्धार हेतु उक्त प्रस्तावों कर क्रियान्वित करावें ताकि चंबल क्षेत्र की 2,29000 हैक्टेयर कृषि भूमि जिसमें तीन जिले क्रमश: बूंदी, कोटा एवं बारां प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित/प्रभावित होंगे । इसमें हाड़ौती के इन तीन जिलों के लगभग 700 गांव कवर होते हैं। विगत 6 माह में जनसमुदाय के बीच इस नहरी तंत्र पर निरीक्षण भी किया है एवं महसूस किया गया है कि इस विशाल नहरी तंत्र के लिए वर्तमान मौजूद संसाधन नगण्य है, ना ही इस तंत्र के लिए पर्याप्त संख्या में बारहमासी लेबर उपलब्ध होती है तथा नहरों के निरीक्षण एवं आपातकालीन नित्य प्राय: होने वाली टूट-फूट के लिए आवश्यक मशीनरी जैसे जे.सी.बी., ट्रक डंपर व पिक–अप वैन यहां उपलब्ध नहीं है जिससे काश्तकारों को टेल क्षेत्र में आये दिन पानी की समस्या से सामन करना पड़ता है । नहरी तंत्र में पूर्व में राजस्व के लिए पटवारी व्यवस्था सुचारु रूप से कार्यरत थी एवं काश्तकारों की समस्याओं जैसे धोरे का बिगडना, ड्रेनों के अतिक्रमण की समस्या व नहरी भूमि पर अतिक्रमण समस्या इत्यादि का समय रहते निदान कर दिया जाता था परन्तु विगत 10 वर्षो में पटवारी समाप्त करने से नहरी भूमि एवं सिंचित भूमि में समस्याओं का भंडार एकत्र हो गया है। अत: सम्पूर्ण चंबल नहरी तंत्र के पूर्णतया जीर्णोद्धार के लिए उक्त प्रस्तावित राशियां स्वीकृत कर कार्य

प्रारम्भ कराया जावे तथा पर्याप्त संसाधन, बारहमासी लेबर व पटवारियों को पुन: राजस्व कार्य के लिए लगाये जाने की कार्यवाही करायी जावे ।

भवदीय

सी.एल. प्रेमी

(केशोरायपाटन)

कृषि भूमि हेतु रास्तों सम्बन्धी विषय पर

राज्य सरकार द्वारा विगत तीन वर्ष के कार्यकाल में राजस्व विभाग द्वारा कई लोक कल्याणकारी एवं किसानों के हित में निर्णय लिये गये हैं। जो निश्चित रूप से सराहनीय है । परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि राजस्व न्यायालयों में चल रहे विवादों में ''रास्तों का विषय'' आपसी विवाद के मुख्य कारणों में से एक है । इस विषय में राजस्व मंत्री उचित एवं आवश्यक निर्णय लें ये आज की आवश्यकता है।

परम्परागत समय से रास्ते मौके पर उपलब्ध होते हुए भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण सम्बन्धित खातेदारों द्वारा मनमर्जी से इन रास्तों को बन्द कर दिया जाता है, जिससे अन्य काश्तकारों को परेशानी हो जाती है । राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के सेक्शन 251 में इस प्रकार से पूर्व में चल रहे रास्तों को बन्द करने पर समम्बन्धित ग्राम पंचायत को रास्ते खुलावाने के अधिकारी प्रदान किये गये हैं, लेकिन राजनैतिक एवं अन्य कारणों के चलते ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही किया जाना असम्भव होता है इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो पाता है इस प्रकार के मामलों में प्रभावी सुधार की आवश्यकता है ।

खेतों के आपसी विभाजन के समय भी पूर्व में सम्बन्धित राजस्व न्यायालय द्वारा रास्तों सम्बन्धी खुलासा नहीं किये जाने के कारण भी सह खातेदारों में विभाजन के बाद आपसी विवाद शुरू हो जाते हैं जो राजस्व न्यायालयों में वादों की संख्या में वृद्धि करते हैं।

किसी भी खातेदार को रास्ते की आवश्यकता हो तब सम्बन्धित काश्तकार को रास्ता दिलाये जाने सम्बन्धित अधिकार राजस्व न्यायालयों के पास नहीं है। अत: एक्ट में संशोधन कर जिस काश्तकार से रास्ते हेतु जमीन ली जावें, उसको भूमि की वास्तविक दर से अधिक राशि दी जाकर भी रास्ता दिलाये जाने बाबत प्रावधान किया जा सकता है। रास्ता कहां से दिया जाना उचित होगा, यह निर्णय सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं तहसील के अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर भी किया जा सकता है।

वर्तमान में परम्परागत समय से चले आ रहे रास्तों का रिकार्ड में अंकन

करवाया जाना भी आवश्यक है। जिसके लिये भूमिधारकों व सम्बन्धित ग्राम पंचायत की कमेटी का गठन कर इस प्रकार के रास्तों का रिकार्ड में अंकन किये जाने बाबत एक्ट में संशोधन की पूर्ण आवश्यकता है। प्रत्येक खेत का अधिकारिक रास्ता हो यह सम्पूर्ण राजस्थान के किसानों की महती आवश्यकता है और इस संबंध में किया गया निर्णय राजस्थान के सभी किसानों को राहत पहुंचायेगा साथ ही राजस्व न्यायालयों में चल रहे इन वादों का भी निस्तारण होगा और वादों में भी कमी आयेगी। सरकार को इस पर गम्भीर विचार कर शीघ्र निर्णय लेना चाहिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी

(बायतू)

जवाई बांध के अधिशेष जल को जवाई नदी में छोड़े जाने की मांग

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जवाई बांध जालौर जिले में बहने वाले पानी को रोक कर बनाया गया है जिससे जालौर जिले के तमाम ग्राम पाली जिला तखतगढ़ से लगा विधान सभा क्षेत्र आहोर–जालौर भीनमान- सांचौर बाडमेर जिला तक आने वाले कुओं पर पानी का जल स्तर बहुत घट गया है।

जब भी जवाई बांध में पानी आवर फ्लों होता है जब भी जालोर जिले को नुकसान जान-माल का होता है।

सिंचाई विभाग के अधिकारी उक्त बांध जब पूरा भरता है उसे ओवर फ्लो की स्थिति में उसके गेट खोले जाते हैं जिसमें जालौर जिले का उक्त पानी से बहुत ही जान-माल का नुकसान उठाना पड़ता है व होता रहता है।

अत: मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के मारफर माननीय सिंचाई मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जवाई बांध से जालौर जिले को कुओं का पानी का जल स्तर घटना व ओवर फ्लों के समय गेट खोलने से उत्पन्न जान-माल की हानि का नुकसान होता है। अत: इस समस्या को मंत्रिमण्डल की बैठक में यह सुनिश्चित करावे कि जवाई बांध 55 फीट तक भरने पर 55 फीट से उपर का पानी जवाई नदी में छोड़ा जावे जिससे जालैार जिले में कुओं का जल रिचार्ज होगा व साथ ही जवाई बांध से हो रहे ओवर फ्लों से होने वाला जान-माल का नुकसान भी नहीं होगा।

रामलाल मेघवाल

(जालौर)

परिशिष्ट-2

(परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद का श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर जो पढ़ा हुआ माना गया)

मैंने अपने बजट भाषण में भी यह उल्लेख किया है कि हमारा बजट आम आदमी, गरीब एवं गांवों को समर्पित है। इसी उद्देश्य के अनुरूप बजट में नये कार्यक्रमों की घोषणाएं की गई हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुरूप बजट प्रावधान बढ़ाये गये हैं ताकि सामाजिक सेवाओं एवं आधारभूत ढांचे के विकास हेतु समुचित राशियां उपलब्ध हो सकें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परिवर्तित बजट में 2168 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान, वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों (1701 करोड़ रुपये) से 27 प्रतिशत अधिक।

पेयजल आपूर्ति के लिए परिवर्तित बजट में 4000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान, वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों (3369 करोड़ रुपये) से 23 प्रतिशत अधिक।

शिक्षा के लिए परिवर्तित बजट में 9162 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान, वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों (7488 करोड़ रुपये) से 22 प्रतिशत अधिक।

ग्रामीण विकास के लिए परिवर्तित बजट में 2772 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान, वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों (2374 करोड़ रुपये) से 17 प्रतिशत अधिक।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए परिवर्तित बजट में 2318 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान, वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों (2048 करोड़ रुपये) से 13 प्रतिशत अधिक।

कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए परिवर्तित बजट में 1977 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान, वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों (1630 करोड़ रुपये) से 21 प्रतिशत अधिक।

सड़कों के लिए परिवर्तित बजट में 1281 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान, वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों (1070 करोड़ रुपये) से 20 प्रतिशत अधिक। इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में 1100 करोड़ रुपये का खर्चा किया जाना अनुमानित है।

तारानगर, राजसमंद एवं पाली से आये माननीय सदस्यों ने यह बिन्दु उठाया है कि बजट भाषण घोषणा पत्र के अनुरूप नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि बजट मुख्य रूप से चुनाव घोषणा पत्र में दर्शाई गई नीतियों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। माननीय सदस्य ने संभवत: न तो घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़ा है और न ही बजट दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन किया है। मैंने तो अपने बजट भाषण में भी इसका उल्लेख किया है कि हम घोषणा पत्र में किये गये वादों को पूरा करेंगे।

हमारे चुनाव घोषणा पत्र में विभागवार जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनको संकल्पों के रूप में प्रस्तुत किया गया है और ये हमारी आगामी पांच वर्षों की कार्य योजना दर्शाते हैं। स्वाभाविक रूप से, इन सभी संकल्पों को एक वर्ष में ही पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे हमने कहा कि 250 तक की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा, तो क्या माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि यह लक्ष्य एक वर्ष में ही पूरा हो जाएगा। ऐसे कई उदाहरण मैं प्रस्तुत कर सकता हूं किन्तु केवल इसी बिन्दु पर यदि पूरी व्याख्या करने लग गया तो संभवत: अन्य बिन्दुओं पर चर्चा करने का समय नहीं बचेगा।

हमारे घोषणा पत्र में 329 संकल्प हैं, जिसमें से बजट में 101 संकल्पों के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, हमारी सरकार की प्रथम 100 दिवस की कार्य योजना के माध्यम से घोषणा पत्र के लगभग 80 बिन्दुओं को क्रियान्वित किया जा चुका है।

बजट भाषण में, विभिन्न विभागों में जो नियुक्तियां प्रस्तावित की गई हैं उनका उल्लेख किया गया है। मैं यहां पर हमारी सरकार के गठन के पश्चात् दिसम्बर, 2008 से मई, 2009 की अवधि में उपलब्ध कराये गये रोजगार के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। सरकार द्वारा 7862 नियमित नियुक्तियां दी गई, 622 मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्तियां तथा 6933 संविदा पर नियुक्तियां दी गई। इसके अतिरिक्त 2617 पदोन्नतियां दी गईं।

राजस्व प्राप्तियां

शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य श्री राव राजेन्द्र सिंह ने उल्लेख किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजस्व प्राप्तियों में 59.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि बी. जे. पी. के शासनकाल वर्ष 2003-2008 में राजस्व प्राप्तियों में 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

माननीय सदस्य दो ऐसी अवधियों की कांग्रेस, बी.जे.पी. के नाम पर तुलना कर रहे हैं, जो वास्तव में सम्पूर्ण देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से भिन्न रही है। 2003 से 2008 की अवधि में न केवल हमारे राज्य में अपितु लगभग समस्त राज्यों की राजस्व आय में एवं केन्द्रीय करों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई थी।

समस्त नॉन स्पेशल केटेगरी स्टेट्स, जिसमें राजस्थान भी शामिल है की राजस्व आय में वर्ष 2003-04 से वूर्ष 2008-09 की अवधि में लगभग 133 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि इस अवधि में हमारे राज्य की राजस्व आय में वृद्धि 114 प्रतिशत ही रही। अत: राजस्थान की राजस्व आय में वृद्धि के लिये पूर्ववर्ती सरकार का श्रेय लेना कोई मायने नहीं रखता।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003-04 से 2008-09 की अवधि में राज्य के कर राजस्व में 14.98 प्रतिशत की वृद्धि दर (कम्पाउण्ड ग्रोथ रेट) दर्ज की गई जबकि अन्य 15 राज्यों की वृद्धि दर इससे अधिक रही, जो इस प्रकार है:-

राज्य	**वृद्धि दर**
आन्ध्र प्रदेश	22.36
गुजरात	16.18
हरियाणा	17.63
हिमाचल प्रदेश	18.51
जम्मू कश्मीर	18.28
कर्नाटक	20.45
मध्य प्रदेश	15.93
महाराष्ट्र	15.58
उड़ीसा	17.11
तमिलनाडु	15.77
उत्तर प्रदेश	18.89
दिल्ली	18.66
छत्तीसगढ़	20.36
झारखण्ड	19.44
उत्तराखण्ड	20.54

वर्ष 2003-04 से 2008-09 की अवधि में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से की राशि में 22.35 प्रतिशत की वृद्धि दर (कम्पाउण्ड ग्रोथ रेट) दर्ज की गई जबकि केवल 5 राज्यों की वृद्धि दर इससे अधिक रही, जो इस प्रकार है:-

राज्य	**वृद्धि दर**
गुजरात	25.22
हरियाणा	24.03
पंजाब	25.25
छत्तीसगढ़	22.76
उत्तराखण्ड	31.03

यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003-04 की तुलना में 2008-09 में केन्द्रीय रों में राज्य के हिस्से में 149.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि केन्द्र में यू.पी.ए. सरकार द्वारा लागू की गई आर्थिक नीतियों का परिणाम है। इस अवधि में राज्य का स्वयं का कर राजस्व, वैट लागू करने के बावजूद, केवल 108.86 प्रतिशत बढ़ा है। इससे स्पष्ट है कि राजस्व आय वृद्धि में केन्द्र सरकार से प्राप्त अंशदान का अधिक योगदान रहा है। अर्थव्यवस्था में उछाल को देखते हुए राज्य सरकार के कर राजस्व संग्रहण के प्रयास पर्याप्त नहीं रहे।

मैं आपका ध्यान सी.ए.जी. की 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष की सिविल रिपोर्ट की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। रिपोर्ट के पृष्ठ 39 में यह स्पष्ट किया गया है कि राजस्व खाते के अधिशेष में गत वर्ष की तुलना में 2007-08 में रुपये 1015 करोड़ की वृद्धि हुई। तथापि, राजस्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि 5189 करोड़ रुपये में 56 प्रतिशत योगदान केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से एवं यूनियन ग्रांट्स का था।

राजस्व घाटा

सदन में बजट पर चर्चा के दौरान तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ ने पिछली सरकार के वित्तीय प्रबन्धन की प्रशंसा करते हुए वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में पुन: राजस्व घाटा होने का उल्लेख किया। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री कटारिया ने भी राजस्व घाटा बढ़ने का उल्लेख किया है।

पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2004-05 से 2007-08 की अवधि में राजस्व खाते में सुधार कई कारणों के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप सम्भव हो सकता था इनमें प्रमुख इस प्रकार से हैं :-

केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई ऋणों की अदला-बदली (डेट स्वेप) के फलस्वरूप ब्याज भुगतान दायित्व में कमी आना। यह योजना हमारी पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष में 2002-03 लागू की गई थी व 2002-2003 से 2003-2004 की अवधि में हमने लगभग 3000 करोड़ रुपये के महंगे ऋणों को कम ब्याज दर वाले ऋणों से स्वेप किया था जिसके परिणामस्वरूप लगभग 200 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ब्याज भुगतान की बचत हुई थी। वर्ष 2004-2005 में भी यह प्रक्रिया जारी रही व लगभग 3700 करोड़ रुपये के महंगे ऋणों को स्वेप किया गया। इससे 175 करोड़ रुपये के ब्याज भुगतान की प्रतिवर्ष बचत हुई।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 में 6174 करोड़ रुपये के ऋणों को 7.5 प्रतिशत ब्याज दर पर कंसोलिडेट करके उसके पुनर्भुगतान को 20 वर्षों के लिए रीशिड्यूल किया गया। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 से 2008-09 की अवधि में 712 करोड़ रुपये के ब्याज भुगतान दायित्व में कमी आई, एवं साथ ही 625 करोड़ रुपये के मूल धन का पुनर्भुगतान भी कम करना पड़ा। इसके अतिरिक्त 308 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ऋण माफी का भी लाभ प्राप्त हुआ।

वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2003-04 की अवधि में एवरेज कोस्ट ऑफ बोरोईंग जहां 9 प्रतिशत से अधिक रही, वहीं 2004-05 से 2008-09 की अवधि में ब्याज दरों में आम गिरावट के कारण यह 8 प्रतिशत से कम रही।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 29.5 प्रतिशत से बढ़कर 30.5 प्रतिशत हो गया तथा उसमें से राजस्थान का हिस्सा 5.609 हो गया जबकि ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि में यह 5.473 था।

केन्द्रीय करों के संग्रहण में इस अवधि में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज हुई जिसके परिणामस्वरूप राज्य को केन्द्रीय करों में मिलने वाले हिस्से में भी वृद्धि हुई। वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि में केन्द्रीय करों में राज्य को 33891 करोड़ रुपये की हिस्सा राशि मिली जबकि वर्ष 1999-2000 से 2003-2004 की अवधि में 14572 करोड़ रुपये की ही हिस्सा राशि मिली थी। 2004 -2009 की अवधि में प्राप्त राशि वर्ष 1999-2004 की अवधि में मिली राशि से 133 प्रतिशत अधिक थी।

इसी प्रकार यूनियन ग्रांट्स में वर्ष 1999-2000 से 2003-04 की

अवधि में 10868 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जबकि 2004-05 से 2008-09 की अवधि में 20947 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो पूर्व अवधि से लगभग 93 प्रतिशत अधिक है।

राज्य को वर्ष 1999-2000 से 2003-04 की अवधि में 29001 करोड़ रुपये का स्वयं का कर राजस्व प्राप्त हुआ था, जिसकी तुलना में वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि में 58312 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त हुआ तथा यह वृद्धि लगभग 101 प्रतिशत थी, जबकि इसी अवधि में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में वृद्धि 132 प्रतिशत थी।

राज्य के स्वयं के कर राजस्व एवं केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से की वार्षिक वृद्धि दर से भी यह स्पष्ट है कि राज्य के स्वयं के कर राजस्व की वार्षिक वृद्धि दर केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से की वृद्धि दर से कम रही है।

वर्ष	**केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से की वार्षिक वृद्धि दर**	**राज्य के स्वयं के कर राजस्व की वार्षिक वृद्धि दर**
2004-05	19.53	16.13
2005-06	23.10	17.41
2006-07	27.55	17.49
2007-08	26.14	14.36
2008-09 (आरई)	5.50	14.01
2009-10 (एमबीई)	6.90	10.62

इस विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान राजस्व घाटे में सुधार, केन्द्र सरकार से अधिक अन्तरण प्राप्त होने, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने एवं अर्थव्यवस्था में उछाल की स्थिति होने इत्यादि की वजह से सम्भव हुआ है।

सदन में राजस्व घाटे को लेकर काफी चिन्ताएं व्यक्त की गई हैं और यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि इसकी पूर्ति कैसे होगी। वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के राजस्व घाटे के सम्बन्ध में चर्चा करने से पूर्व मैं सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि राजस्व घाटा कोई नई बात नहीं है। वर्ष 1992-93 से वर्ष 2005-06 तक राज्य लगातार राजस्व घाटे में रहा और तब भी इस घाटे की पूर्ति केपिटल अकाउंट से की जाती रही है।

वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों एवं वर्ष 2009-10 के परिवर्तित बजट में राजस्व घाटे के कारणों से सदन भलीभांति परिचित है। मैंने अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि वैश्वक मंदी का प्रभाव न केवल समूचे देश पर पड़ा है बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रही है। एक तरफ जहां केन्द्रीय करों में राज्य को मिलने वाले हिस्से की वृद्धि दर तथा राज्य की स्वयं की राजस्व आय की वृद्धि दर दोनों में ही गिरावट आई है, वहीं दूसरी ओर छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय में भारी वृद्धि हुई है।

माननीय सदस्य इस तथ्य से परिचित हैं कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें 1 सितम्बर, 2006 से लागू की गई थीं तथा वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में, बढ़े हुए वेतन एवं पेंशन के भुगतान के अलावा 1 जनवरी, 2007 से 31 अगस्त, 2008 तक की एरियर राशि का भुगतान भी किया गया है। इसके परिणामस्वरूप इन दो वर्षों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन भत्तों एवं पेंशन में असाधारण वृद्धि हुई है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 11.09.2008 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2008-09 में बढ़े हुए वेतन भत्तों के भुगतान पर लगभग 5000 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2009-10 में 6500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्चा अनुमानित किया गया था। इसी प्रकार पेंशन के पेटे वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में प्रतिवर्ष 660 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्चा अनुमानित किया गया था।

राजस्व आय की वृद्धि दर में कमी आने एवं राजस्व व्यय में बढ़ोतरी होने के बावजूद हमने चालू वर्ष की योजना के आकार को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है तथा हम आश्वस्त हैं कि इस योजना को हम पूरा कर पायेंगे। बढ़ी हुई योजना के वित्त पोषण की व्यवस्था की जाकर तदनुसार बजट में इसके लिये समुचित प्रावधान कर लिया गया है। हम आशा करते हैं कि अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर समाप्त होने के साथ राजस्व प्राप्तियों में पुन: आशातीत वृद्धि होगी।

एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अन्तर्गत फिस्कल टारगेट्स

शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य श्री राव राजेन्द्र सिंह ने सी.ए.जी. रिपोर्ट सिविल 2007-2008 के सन्दर्भ में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अन्तर्गत फिस्कल टारगेट्स समय से पूर्व अर्जित करने का उल्लेख किया है।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ऋण राहत का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एफ.आर.बी.एम. एक्ट मई, 2005 में लागू किया गया था। इस एक्ट में वर्ष 2008-2009 में राजस्व घाटे को समाप्त करने और राजकोषीय घाटे को जी.एस.डी.पी. का तीन प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया था।

यह सही है कि राजस्व घाटा 2008-2009 की बजाय 2006-2007 में ही समाप्त कर लिया गया और राजकोषीय घाटा वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 क्रमशः 2.67 एवं 2.01 प्रतिशत रहा। वर्ष 2006-2007 में राजस्व अधिशेष 638 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2007-2008 में 1,653 करोड़ रुपये रहा।

माननीय सदस्य एफ.आर.बी.एम. एक्ट के लक्ष्यों को समय से पूर्व पूरा करने का जो गुणगान कर रहे हैं, वह वास्तव में राज्य के आर्थिक विकास को ठेस पहुंचाने वाला साबित हुआ है। राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में जो सुधार हुआ उसके लिए पूर्ववर्ती सरकार का कितना योगदान था, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि राज्य सरकार सोशल सेक्टर एवं केपिटल असेट्स के सृजन पर जितना खर्चा कर सकती थी, उसकी कीमत पर एफ.आर.बी.एम. टारगेट्स को समय से पहले अर्जित करने को प्राथमिकता देना वित्तीय प्रबन्धन पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। एफ.आर.बी.एम. एक्ट की पालना करने एवं भारत सरकार की ऋण राहत योजना का लाभ उठाने के लिए वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 में राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के क्रमशः 3.6 प्रतिशत एवं 3.2 प्रतिशत तक ही लाना पर्याप्त था, जबकि इसे क्रमशः 2.67 प्रतिशत एवं 2.01 प्रतिशत रखा गया अर्थात् राज्य सरकार के पास वर्ष 2006-2007 में 1,389 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006-2007 में 2,029 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने के लिए फिस्कल स्पेस उपलब्ध था, जिसे उपयोग में नहीं लिया गया और राशियां अनावश्यक रूप से उधार लेकर रिजर्व बैंक में निवेश की गई।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य पूर्व सरकार की कथित उपलब्धियों की असलियत समझ सकेंगे।

योजना व्यय

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ ने उल्लेख किया है कि वार्षिक योजना में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी न होकर केवल 23 प्रतिशत की ही बढ़ोतरी हुई है एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना से ग्यारहवीं

पंचवर्षीय योजना में पिछली सरकार द्वारा 220 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई जो सबसे अधिक है। बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा ने यह उल्लेख किया है कि 18,634 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना प्रस्तुत की गई है, इसके लिए संसाधन कहां से आयेंगे, इसका कोई उल्लेख बजट में नहीं किया गया है। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री कटारिया ने भी योजना के वित पोषण के लिए संसाधनों का प्रश्न उठाया है।

माननीय सदस्य ने बजट भाषण के एक ही आंकड़े को देखा। मैंने बजट भाषण में स्पष्ट उल्लेख किया है कि इस वर्ष की अनुमोदित योजना का आकार 17,322 करोड़ रुपये है जिसे बढ़ाकर 18,634 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। अगर आप केवल 17,322 करोड़ रुपये के ही आधार पर वृद्धि निकालेंगे तो 23 प्रतिशत आएगी, किन्तु मैंने इस परिवर्तित बजट में प्रस्तावित योजना के आकार के संबंध में वृद्धि का उल्लेख किया है जो 33 प्रतिशत है और सही है। 18,634 करोड़ रुपये की प्रस्तावित योजना राज्य की अब तक की सबसे बड़ी योजना है।

योजना का आकार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय पूरे देश में अर्थव्यवस्था अपने शिखर पर थी तथा संसाधनों की उपलब्धता की भी कोई समस्या नहीं थी। राज्य सरकार के पास तो उस समय इतना सरप्लस था कि उसे खर्च भी नहीं किया जा सकता था और यह राशि रिजर्व बैंक में विनियोजित रहती थी। अब इस योजना की क्रियान्विति हम कर रहे हैं और हमने संसाधनों की दृष्टि से दबाव की स्थिति के बावजूद चालू वर्ष की योजना 33 प्रतिशत की वृद्धि के साथ प्रस्तावित की है जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने 2008-2009 में 14,000 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना, योजना आयोग से अनुमोदित कराई थी, वह पूर्व वर्ष 2007-2008 के 13,795 करोड़ रुपये के योजना खर्च की तुलना में केवल 1.49 प्रतिशत अधिक थी।

मैं यहां पर माननीय सदन के सम्मुख एक अन्य गम्भीर विषय का भी उल्लेख करना चाहूंगा जो खर्चे की गुणवत्ता एवं उपादेयता से संबंधित है। योजना खर्च में बढ़ोतरी करने के बावजूद यदि राज्य का आर्थिक विकास अपेक्षित गति से नहीं हो तो उससे क्या लाभ? अभी भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत इकोनोमिक सर्वे वर्ष 2008-2009 में राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, उससे यह स्पष्ट हुआ है कि राजस्थान,

नोन-स्पेशल केटेगरी स्टेट्स, में एकमात्र ऐसा राज्य है जो वर्ष 2000-2001 से 2003-2004 की अवधि में हाई परफोर्मिंग स्टेट्स की श्रेणी में था और वर्ष 2004-2005 से 2007-2008 की अवधि में लो परफोर्मिंग स्टेट्स की श्रेणी में आ गया है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि पूर्ववर्ती सरकार की अवधि में दिखावटी खर्चे अधिक किये गये जिसका वास्तविक प्रभाव राज्य के आर्थिक विकास में परिलक्षित नहीं हो सका।

खर्चे की गुणवत्ता का एक मापदण्ड, परिसम्पत्तियों के सृजन पर किया जाने वाला खर्चा है। वर्ष 2007-2008 में यह खर्चा 6,556 करोड़ रुपये था जो घटकर वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमानों में 6,272 करोड़ रुपये ही रह गया। वर्तमान सरकार ने संसाधनों की कमी के बावजूद केपिटल आउट-ले हेतु प्रावधान में वर्ष 2008-2009 की तुलना में वर्ष 2009-2010 के परिवर्तित अनुमानों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की है एवं इस हेतु 6,864 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है।

बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बिन्दु उठाया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य ने बजट दस्तावेज का पूरी तरह अध्ययन नहीं किया है। परिवर्तित बजट 2009-2010 में 39.20 करोड़ रुपये का बजट आधिक्य बताया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि समस्त खर्चे, जिसमें योजना, गैर आयोजना एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना मद के खर्चे शामिल हैं, करने के बाद राज्य कोष में 39.20 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शेष रहेगी।

राज्य पर ऋण भार

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ ने उल्लेख किया है कि दिनांक 31.3.2009 को 84,000 करोड़ रुपये का ऋण शेष जिसमें सर्वाधिक ऋण कांग्रेस सरकार ने लिया। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री कटारिया ने भी कांग्रेस शासल काल में कर्जो की वृद्धि का उल्लेख किया है।

वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2003-2004 की अवधि में तत्कालीन सरकार द्वारा 29,191 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में (2004-2005 से 2008-2009) संसाधनों की समुचित उपलब्धता के बावजूद 30,943 करोड़ रुपये के ऋण का बोझ राज्य पर बढ़ाया है। यदि हम ऋण की वार्षिक वृद्धि दर को देखें तो वर्ष 2007-2008 में यह 8.42 प्रतिशत थी जो वर्ष 2009-2010 के परिवर्तित बजट में 8.08 प्रतिशत

है। उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि माननीय सदस्य का निष्कर्ष वास्तविकता से परे है।

वैट की दर 12.5 से 14 प्रतिशत बढ़ाये जाने से गरीब वर्ग प्रभावित होगा तथा व्यवसाय का दूसरे राज्यों में पलायन होगा।

राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या श्रीमती किरण माहेश्वरी, नगर से आने वाली माननीय सदस्या श्रीमती अनिता सिंह और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया द्वारा वैट की दर 12.5 से 14 प्रतिशत करने के परिणामस्वरूप गरीब वर्ग के प्रभावित होने एवं व्यवसाय के दूसरे राज्यों में पलायन होने का उल्लेख किया गया।

बजट में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि गरीब, किसान तथा आम आदमी पर कोई कर नहीं लगाया गया है तथा जरूरत की वस्तुओं पर मौजूदा कर दर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में चार प्रतिशत कर दर पर आधा प्रतिशत तथा 12.5 प्रतिशत कर दर पर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया गया है। मध्य प्रदेश में भी बजट में वैट की सामान्य दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इसी प्रकार गुजरात में वर्ष 2008 से, कतिपय वस्तुओं को छोड़कर, 4 प्रतिशत की कर दर के साथ-साथ एक प्रतिशत तथा 12.5 प्रतिशत की अधिकांश वस्तुओं पर 2.5 प्रतिशत, अतिरिक्त कर लगा हुआ है।

चार प्रतिशत कर योग्य वस्तु जिनकी संख्या 483 है, उनमें सभी जरूरत के सामान तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल शामिल है। राजस्थान में विकट वित्तीय परिस्थिति के बावजूद चार प्रतिशत की कर दर को यथावत रखा गया है। जिन वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है, उसमें मोटर वाहन, टी.वी., फ्रिज, इलेक्ट्रोनिक्स आदि शामिल हैं। यद्यपि इस वर्ग में 1,232 प्रकार की वस्तुएं हैं परन्तु राज्य में सिर्फ 70 वस्तुओं पर वार्षिक 10 लाख से ज्यादा टैक्स भरने वाले डीलर्स हैं। राज्य के विकास के लिए संसाधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वैट दर में यह मामूली बढ़ोतरी (100 रुपये पर डेढ़ रुपया) की गई है जो ऐसे वस्तुओं का ग्राहक सहन करने में सक्षम होंगे।

एम्पावर्ड कमेटी द्वारा निर्धारित वैट की दरें एक प्रतिशत, चार प्रतिशत एवं 12.5 प्रतिशत न्यूनतम (फ्लोर) रेट है। राज्य सरकार को भारत के संविधान के मुताबिक इन दरों में वृद्धि करने का पूर्ण अधिकार है। उत्तर प्रदेश,

मध्य प्रदेश तथा गुजरात सरकार द्वारा ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जा चुका है। अत: 12.5 प्रतिशत से 14 प्रतिशत करना वैट भावना के खिलाफ नहीं कहा जा सकता।

जहां तक इस बढ़ोतरी से व्यवसाय दूसरे राज्यों में पलायन करने का प्रश्न है, इसकी सम्भावना नगण्य है क्योंकि इन वस्तुओं का उपयोग आम आदमी के द्वारा कम किया जाता है जबकि पूर्व सरकार ने समाज के सभी वर्गों द्वारा काम में लिये जाने वाले पेट्रोल एवं डीजल पर कर दर को, हरियाणा, दिल्ली एवं पंजाब से अधिक निर्धारित करने के बावजूद भी, 2006-2007 से खपत में वृद्धि निरन्तर हो रही है।

पेट्रोलियम पदार्थ	**1998-99 से 2003-04**	**2004-05 से 2008-09**	**बढ़ोतरी**
पेट्रोल	20से23 प्रतिशत	28 प्रतिशत	5 प्रतिशत
डीजल	16 प्रतिशत	20 प्रतिशत, जून,2008 में भारत सरकार के दबाव पर 18 प्रतिशत किया गया।	4 प्रतिशत

डी.एल.सी. दरों में बढ़ोतरी

राजसमंद से आने वाली माननीय सदस्या श्रीमती किरण माहेशवरी ने डी.एल.सी. दरों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी का उल्लेख करते हुए इस बढ़ोतरी के पश्चात् जिला स्तरीय समितियों का कोई औचित्य नहीं माना है। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया ने उल्लेख किया है कि निर्माण वस्तुओं पर रियायतें देकर डी.एल.सी. दरें भी बढ़ा दी हैं, जिससे आम आदमी पर भार बढ़ गया है।

राज्य में अचल सम्पत्ति के विक्रय पर पंजीयन की कार्यवाही नियमानुसार मार्केट वैल्यू के आधार पर होनी चाहिए। अत: डी.एल.सी. रेट एवं मार्केट रेट के मध्य अन्तर नहीं होना चाहिए, परन्तु वास्तविकता यह है कि राज्य के लगभग सभी जिलों में डी.एल.सी. रेट एवं मार्केट रेट के बीच भारी अन्तर है। इससे राजकोष में नुकसान होने के साथ आम काश्तकारों को अपनी जमीन का सही मुआवजा भी नहीं मिल पाता है।

राज्य में 22 जिलों में जिला स्तरीय कमेटियों द्वारा डी.एल.सी. रेट रिव्यू करना लम्बित है। नियमानुसार यदि जिला स्तरीय समिति द्वारा एक वर्ष के अन्दर रेट का रिव्यू नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार को रेट बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार है। अत: यह स्पष्ट है कि जिला स्तरीय कमेटी समय पर रेट को रिव्यू करने के लिए स्वतंत्र है।

जयपुर जिले में 7 नवम्बर, 2007 के बाद डी.एल.सी. रेट का निर्धारण नहीं हुआ है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने डी.एल.सी. रेट में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसी प्रकार राज्य के उन जिलों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिनमें वर्ष 2009 में डी.एल.सी. रेट का निर्धारण नहीं हो पाया है।

नई घोषणाएं

बजट में मेरे द्वारा की गई घोषणा के अलावा जनभावना के अनुरूप मैं निम्नलिखित प्रस्ताव और प्रस्तुत करता हूं।

*विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभ, केवल शारीरिक रूप अक्षम तथा दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। अब बी.पी.एल. परिवार के सदस्य जो निम्न प्रकार के विकलांगता से प्रभावित हैं, उनको भी पेंशन का लाभ दिया जायेगा :-

1. मानसिक रूप से विमंदित व्यक्ति
2. वधिर (DEAF)
3. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति

इससे लगभग 50,000 बी.पी.एल. परिवार के सदस्य लाभान्वित होंगे।

*जालौर, सिरोही में उत्पादित ईसबगोल को कर मुक्त करना प्रस्तावित है तथा भीनमाल में स्थापित ईसबगोल मण्डी को व्यवस्थित किया जायेगा। ईसबगोल आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

*भू-राजस्व तथा आम जनता से संबंधित विभिन्न समस्याओं जैसाकि

1. राज्य के समस्त पात्र गैर-खातेदारों को खातेदारी अधिकार प्रदान,
2. पुराने कब्जों का नियमानुसार नियमन,
3. राजस्व प्रकरणों का मौके पर निस्तारण,
4. विभिन्न प्रमाण-पत्रों को जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए तथा समस्याओं का त्वरित समाधान हेतु राज्य में पंचायत स्तर पर विशेष रेवेन्यु कैम्प का आयोजन शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

*उपनिवेशन क्षेत्र में भारी संख्या में, काश्तकारों को आबंटित भूमि के विरुद्ध किश्तें बकाया हैं। दिनांक 31.12.2009 तक ऐसे काश्तकार, बकाया समस्त किश्तों को एकमुश्त जमा कराने पर, ब्याज की शत-प्रतिशत छूट देना प्रस्तावित है। इस संबंध में विस्तृत रूपरेखा, राजस्व (उपनिवेशन) विभाग द्वारा शीघ्र जारी की जायेगी।

*पक्ष एवं विपक्ष के माननीय विधायकों से चर्चा कर राज्य में नये कालेज की स्थापना तथा मौजूदा कालेजों में नये विषयों को शुरू करने के लिए जन सहभागिता के साथ विधायक कोष से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित नीति बनाई जायेगी।

*राज्य में हनुमानगढ़ जिला ऐसा एकमात्र जिला है जहां जिला मुख्यालय पर सरकारी कालेज नहीं है। अत: हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर नया सरकारी कालेज की स्थापना प्रस्तावित करता हूं।

*गंगानगर जिले में पुरानी शुगर मिल को स्थानान्तरित कर नई शुगर मिल की स्थापना वर्ष 2007-2008 के बजट में घोषणा की गई थी। परन्तु नई मिल का शिलान्यास दिनांक 10.09.2008 को हो पाया है। अब जल्दी ही महाराष्ट्र पैटर्न पर स्थानीय किसानों की को-आपरेटिव बनाकर अत्याधुनिक मिल की स्थापना की जायेगी।

अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों का पुन: आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बजट पर सामान्य वाद-विवाद में भाग लिया एवं सरकार को अपने सुझाव प्रस्तुत किये। सत्ता दल के माननीय सदस्यों के साथ-साथ, मैं भारतीय जनता पार्टी, सी.पी.आई.(एम), जनता दल एवं समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार को विपक्षी दलों का भी सकारात्मक सहयोग मिलता रहेगा ताकि हम सब मिलकर राज्य की विशेष समस्याओं का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मुकाबला कर सकें।

*उपनिवेशन क्षेत्र में भारी संख्या में, काश्तकारों को आबंटित भूमि के विरुद्ध किश्तें बकाया हैं। दिनांक 31.12.2009 तक ऐसे काश्तकार, बकाया समस्त किश्तों को एकमुश्त जमा कराने पर, ब्याज की शत-प्रतिशत छूट देना प्रस्तावित है। इस संबंध में विस्तृत रूपरेखा, राजस्व (उपनिवेशन) विभाग द्वारा शीघ्र जारी की जायेगी।

*पक्ष एवं विपक्ष के माननीय विधायकों से चर्चा कर राज्य में नये कालेज की स्थापना तथा मौजूदा कालेजों में नये विषयों को शुरू करने के लिए जन सहभागिता के साथ विधायक कोष से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित नीति बनाई जायेगी।

*राज्य में हनुमानगढ़ जिला ऐसा एकमात्र जिला है जहां जिला मुख्यालय पर सरकारी कालेज नहीं है। अत: हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर नया सरकारी कालेज की स्थापना प्रस्तावित करता हूं।

*गंगानगर जिले में पुरानी शुगर मिल को स्थानान्तरित कर नई शुगर मिल की स्थापना वर्ष 2007-2008 के बजट में घोषणा की गई थी। परन्तु नई मिल का शिलान्यास दिनांक 10.09.2008 को हो पाया है। अब जल्दी ही महाराष्ट्र पैटर्न पर स्थानीय किसानों की को-आपरेटिव बनाकर अत्याधुनिक मिल की स्थापना की जायेगी।

अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों का पुन: आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बजट पर सामान्य वाद-विवाद में भाग लिया एवं सरकार को अपने सुझाव प्रस्तुत किये। सत्ता दल के माननीय सदस्यों के साथ-साथ, मैं भारतीय जनता पार्टी, सी.पी.आई.(एम), जनता दल एवं समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार को विपक्षी दलों का भी सकारात्मक सहयोग मिलता रहेगा ताकि हम सब मिलकर राज्य की विशेष समस्याओं का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मुकाबला कर सकें।